न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

खैरूल निशा बनाम ग्राम सिंह आदि

परिवाद सं0—537/17

07.08.2018

अभियुक्तगण राम सिंह, ग्राम सिंह व धर्म सिंह की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं0—537/17 धारा—323,504,506,354 भा0दं0सं0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर किया गया।

प्रार्थनापत्र पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण दिनांक 05.08.2018 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। मामला परिवाद पर आधारित हैं, अभियुक्तगण को अभी तक सुनवाई का मौका नहीं मिला है। अतः मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राम सिंह, ग्राम सिंह व धर्म सिंह द्वारा पच्चीस—पच्चीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

ठाकुरद्वारा।